बच्चों ने नृत्य नाटिका के माध्यम से जल संरक्षण का संदेश दिया

अजमेर, (कासं)। मीनू स्कूल चाचियावास में आयोजित वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का शुभारम्भ नीरज जैन उप महापौर नगर निगम अजमेर ,डॉ.अनिल सामरिया प्रिंसीपल मेंडीकल कॉलेज ,अरविन्द खर्रे उप अधीक्षक जे.एल.एन.अस्पताल, डॉ.अमित यादव उप अधीक्षक जे.एल.एन अस्पताल, डॉ.गणपत सिंह चौहान हैड ऑफ डिपार्टमेंट सिविल इंजिनियरिंग गर्वमेंट कॉलेज अजमेर, राकेश कुमार कौशिक, क्षमा आर. कौशिक आदि द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया। अतिथियों का स्वागत दिव्यांग बच्चों द्वारा तैयार बुके भेंट कर किया। कौशिक ने अतिथियों का शाब्दिक स्वागत कर संस्था की जानकारी देकर संस्था द्वारा संचालित मानव सेवा कार्यों से अवगत करवाया। प्रधानाध्यापक ईश्वर शर्मा विद्यालय अचिवमेंट रिर्पोट प्रस्तुत कर विद्यालय की वार्षिक गतिविधियों के बारे में अवगत करवाया गया। वार्षिक उत्सव में दिव्यांग व गैर दिव्यांग बच्चों ने नृत्य नाटिका प्रस्तुत कर जल संरक्षण का संदेश देते हुए महत्व समझाया ओर जल संरक्षण के प्रति अभिभावकों व विद्यार्थियों को जागरूक किया तथा प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया।

मीनू स्कूल चाचियावास में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का शुभारम्भ हुआ।

कार्यक्रम में अतिथियों नें स्पेशल ऑलम्पिक भारत ,सम्भांग स्तरीये खेलों, साथ खेलें में भाग लेने वाले विद्यार्थियों व कोच को सम्मानित किया । साथ ही प्रतिभावन विद्यार्थियों को सम्मानित किया। उप महापौर जैन ने संबोधित करते हुए कहा दिव्यांग बच्चों सम्मिलित शिक्षा का मंच उपलब्ध करवाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का महत्व सेवा कार्य हैं जल संरक्षण का हम सभी ध्यान रखना चाहिए। डा सामरिया ने उदबोदन के दौरान संस्था के गोल्डन जुबली ईयर की बधाईयां देते हुए बताया की संस्था दिव्यांग व गैर दिव्यांग विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास के लिए सराहनीय कर रही हैं विशेषकर खेलों व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में राज्य व अन्तर्राज्य स्तर पर पहचान बन रही है। कौशिक ने अतिथियों का आभार व्यक्त कर स्मृति चिन्ह भेंट किये । कार्यक्रम में सीमा मालोदिया, मंजुला कंवर, डॉ.वंदना सिंह, बरखा गहलोत, करूणा शर्मा, मंजू शर्मा, सरोज शर्मा, नीतू कंवर, टीना कंवर, रीना रावत, मगन कंवर, विवेक कुमार यादव, हदयाल सिंह रावत, राजेश खींची, नेहा कंवर एवं मीनाक्षी वैष्णव आदि का सहयोग रहा। कार्यक्रम में 200 अभिभावक व विद्यार्थी उपस्थित रहे।

- **पानी की हर बूंद है कीमती दिव्यांग व गैर बच्चों ने नृत्य नाटिका के माध्यम से जल संरक्षण का संदेश दिया**

नवीन पहल की शुरुआत

भीलवाड़ा। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक नवीन पहल की शुरुआत की गई है जिसमें राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय कार्यालय के साथ सहयोग किया जा रहा है। मार्च 2025 के दौरान भीलवाड़ा के आम नागरिकों ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विभिन्न पहल की हैं।हरियाली के साथ सेल्फी थीम पर आधारित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 40 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई। चयन समिति द्वारा उचित जांच के बाद दो सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों का चयन किया गया जिनके नाम वंदना नवल निवासी आरसी व्यास कॉलोनी तथा योगेश दाधीच हैं। मंगलवार को जिला कलेक्टर श्री जसमीत सिंह संधू ने उन्हें प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया साथ ही पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उनके नेक काम को जारी रखने के लिए प्रेरित किया।

अनुमति बिना ड्रोन उड़ाया तो होगी सख्त कार्रवाई

नसीराबाद, (निसं)। नसीराबाद छावनी क्षेत्र को सुरक्षा कारणों से नो-ड्रोन फ्लाइंग ज़ोन घोषित किया गया है। स्टेशन कमांडर के पत्र के आधार पर यह आदेश जारी किया गया है। अब किसी भी आयोजन-चाहे वैवाहिक हो या धार्मिक-में ड्रोन उड़ाने से पहले सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना स्वीकृति ड्रोन उड़ाने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने होटल, मैरिज गार्डन व आयोजकों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। पुलिस व संबंधित अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है।

14 माह से फरार चल रहा शराब तस्कर गिरफ्तार

अजमेर, (कासं)। नसीराबाद सदर थाना पुलिस ने लाखों रुपए की अवैध शराब तस्करी के मामले में 14 माह से फरार चल रहे एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को बांदनवाड़ा क्षेत्र से पकड़ा है। इससे पहले तस्करी में उपयोग में ली गई दो गाडियां और 587 पेटियां बीयर जब्त की जा चुकी हैं। सहायक उपनिरीक्षक संजीव चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी हेमराज ग्राम फतेहगढ़, मसूदा का रहने वाला है। आरोपी को 2 मार्च 2024 को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक मिनी ट्रक और एक पिकअप जीप में बीयर की पेटियां ट्रांसफर की जा रही हैं। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो दो व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। मौके से 587 बीयर पेटियों सहित दोनों वाहन जब्त किए गए थे। जांच अधिकारी चौधरी ने मिनी ट्रक और पिकअप जीप के नंबरों के आधार पर परिवहन विभाग से जानकारी जुटाकर आरोपियों की पहचान की। लंबे समय से फरार चल रहे हेमराज को बांदनवाड़ा से गिरफ्तार किया गया।

LSG/BEAWAR/MUT/2024-25/126070 DATE :- 29.03.2025

रजि. कोर्ट डिग्री

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक/नगरीय विकास कर/2025-26/1398 दिनांक 09-05-25

सार्वजनिक सूचना

श्री तिलोकचन्द साहू पुत्र श्री गोरधन लाल साहू निवासी बिलाड़ा ने क्षेत्र नं. 3 बालाजी खिड़की मार्ग मकान नं. 08 क्षेत्रफल 80.00 वर्गगज, जो कि नगर परिषद ब्यावर के नगरीय विकास कर रिकॉर्ड में श्री गोरधन लाल पुत्र श्री पन्नालाल के नाम दर्ज है। रजि बेचान-नामा दिनांक 31.12.1992 रजि कोर्ट डिग्री दिनांक 21.11.2003 व स्वयं घोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर नगरीय विकास कर अनुभाग (गृहकर)पंजिका में नाम अन्तरण के लिए आवेदन किया है। अतः इस नाम परिवर्तन के संबंध में किसी व्यक्ति या किसी संस्था को कोई आपत्ति हो तो मय प्रमाणित दस्तावेज सात दिवस में आपत्ति प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई भी आपतित विचारणीय नहीं होगी।

आयुक्त नगर परिषद ब्यावर

जिला कलेक्टर ने ली समीक्षा बैठक

भीलवाड़ा। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। जिला कलेक्टर ने विभागीय योजनाओं की बिंदुवार बारीकी से समीक्षा की।

जिला कलेक्टर ने नगर निगम के अधिकारियों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र व पेंशन प्रकरणों के त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएचईडी विभाग को शेष एफएचटीसी कनेक्शन जल्द करने, श्रम विभाग के अधिकारियों को लेबर कार्ड व निर्माण श्रमिक से जुड़े लंबित प्रकरणों के जल्द निस्तारण को कहा।

संधू ने आगामी अभियान हरियालो राजस्थान की तैयारी शुरू करने व विश्व पर्यावरण दिवस तक समस्त कार्यालय में प्लास्टिक फ्री कार्यालय बनाने का लक्ष्य निर्धारित करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने ई-फाईल व ई-डाक फाइलों के निस्तारण के एवरेज डिस्पोजल टाइम को कम करने हेतु निर्देशित किया साथ ही पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जल जीवन मिशन सहित चिकित्सा, शिक्षा व अन्य प्रमुख विभागों की योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा कर बेहतर प्रगति के निर्देश दिए। बैठक में नगर विकास न्यास के ओएसडी चिमनलाल मीणा सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण मौजूद रहे।

- **हरियालो राजस्थान की तैयारी शुरू करने व विश्व पर्यावरण दिवस तक समस्त कार्यालयो को प्लास्टिक फ्री बनाने का लक्ष्य निर्धारित करने के दिए निर्देश, विभागीय योजनाओं व केपीआई की भी समीक्षा की**

दीक्षा महोत्सव के तहत मुमुक्षु तातेड एवं भंडारी वरघोड़ा निकाला

बिजयनगर, (निसं)। कृषि उपज मंडी परिसर में गुरुवर्या 1007 दर्शन लता महाराज सा आदि ठाणा 6 के सानिध्य में आयोजित दीक्षा महोत्सव में ब्यावर निवासी में मुमुक्षु दौलत राज तातेड एव ज्ञानचंद भंडारी संयम साधना के पथ पर अठासर होंगे । गुरुवर्या दर्शन लता म सा केतसानिध्य मेंदीक्षा महोत्सव के साथ चर्तुविध संघ स्थापना महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अखिल भारतीय नानक प्राज्ञ संध विजयनगर व श्री वर्द्धमान, श्री जैन श्वेताम्बर स्थानकवासी श्रावक संघ के संयुक्त. तत्वावधान में आयोजित दीक्षा महोत्सव कार्यक्रम लेकर महावीर भवन में सात दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम मंगलगीत, मेहंदी रस्म, चोवीसी ज्ञान पचासा, भजन संध्या धार्मिक कार्यक्रमोका आयोजन उत्साह के साथकिया जा रहा है। मंगलवार प्रातः महावीर भवन से गाजे बाजे के साथ के साथ रथ में सवार मुमुक्षु दौलतराज तातेड़ एव ज्ञानचद भंडारी का वरघोड़ा निकल गया वरघोडा महावीर भवन से प्रारम्भ होकर रेल्वे फाटक, बापू बाजार, महावीर बाजार, पीपली चौराहे से कृषि मंडी रोड होकर आयोजन स्थल पहुंचा । श्रीवर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी श्रावक संघ अध्यक्ष भंवरलाल कोठारी, मंत्री ज्ञान सिंह सांखला, भागचंद बाबेल, श्री नानक प्रज्ञा संघ के अध्यक्ष प्रकाश चंद संचेती, उमेद सिंह नाबेडा, ज्ञानचंद ललवानी, सुरेंद्र बाफना, अशोक श्रीमाल, राजेंद्र नावेडा, राजकुमार लुणावत, नरेंद्र बाफना, दिनेश बोहरा, पवन मडिया व अजय कुमार कोठारी सहित जैन समाज के गणमान्य मौजूदर है।

मुमुक्षु तातेड एवं भंडारी का बरघोड़ा निकालते।जिला कलेक्टर के निर्देशन में पर्यावरण संरक्षण हेतु जिले में प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की नवीन पहल

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की कोटड़ा आवासीय योजना के आवासीय / व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 97 क्षेत्रफल 136.11 वर्गगज के आवंटी/अन्तरिति श्री मनोज कुमार चौरसिया पुत्र श्री नन्दलाल निवासी अजमेर की मृत्यु दिनांक 20.11.2020 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट सलंग्न कर मृतक के वारिसों क्रमशः 1. श्री सचिन चौरसिया पुत्र स्व. श्री मनोज कुमार चौरसिया निवासी अजमेर 2. वर्षा चौरसिया पुत्री स्व. श्री मनोज कुमार चौरसिया निवासी अजमेर द्वारा अपने सहहिस्सेदार श्रीमती बबिता पत्नि स्व. श्री मनोज कुमार चौरसिया निवासी पसंद नगर कोटड़ा अजमेर के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 09.04.2025 के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में करावें। उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदकों के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

-योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की चन्द्रवरदाई नगर अजमेर योजना के आवासीय / व्यावसायिक भूखण्ड संख्या सी-184 क्षेत्रफल 175.50 वर्गमीटर के आवंटी / अन्तरिति श्रीमती मोहिनी मूलचंदानी पत्नि स्व. श्री कन्हैयालाल मूलचंदानी निवासी आशागंज, अजमेर की मृत्यु दिनांक 24.11.2017 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट सलंग्न कर मृतक के वारिसों में क्रमशः श्रीमती नित्या मन्नू खानवानी उर्फ हेमलता पुत्री स्व.श्री कन्हैयालाल मूलचंदानी पत्नि श्री मन्नू खानवानी निवासी मुंबई द्वारा अपने सहहिस्सेदार श्री देवीदास मूलचदानी पुत्र स्व. श्री कन्हैयालाल मूलचंदानी निवासी आशागंज, अजमेर के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 02.04.2024 के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावें। उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नही होगी व आवेदकों के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

-योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

न्यायालय तहसीलदार किशनगढ़ (अजमेर)

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मृतक खातेदार काना उर्फ कानाराम पुत्र बंशीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम नयागांव तहसील किशनगढ़ के द्वारा ग्राम नयागांव के खसरा नं0 61/22 रकबा 0.7038 हैक्टै. हि0 1/3, ख0न0 282,462 कुल किता 02 कुल रकबा 4.1178 हि0 5/36, ख0नं0 444,447 कुल किता 02 कुल रकबा 0.3964 हि0पूर्ण भूमि अपंजीकृत वसीयत द्वारा अमरचन्द पुत्र लक्ष्मण जाति गुर्जर निवासी ग्राम नयागांव के पक्ष मे निष्पादित की थी, एवं वसीयतग्रहिता उक्त वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खोलने बाबत् निवेदन किया। नामा0 वसीयत का होने से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा-135 (2) के अंतर्गत प्रकरण संख्या 4/2025 दर्ज कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में विचाराधीन है। नामान्तरकरण खोले जाने के संबंध में किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो इस आम सूचना के प्रकाशन से 10 दिन की अवधि में न्यायालय तहसीलदार किशनगढ़ के यहां न्यायालय समय में उपस्थित होकर अपना उजर / एतराज मय साक्ष्य / सबूत प्रस्तुत करे। उक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् प्रस्तुत होने वाले उजर/एतराज स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा उक्त वसीयत को ही अंतिम वसीयत मानते हुए नामान्तरकरण की कार्यवाही निर्धारित अवधि के पश्चात् कर दी जावेगी। सूचित रहे।

तहसीलदार (भू0अ0) किशनगढ़ (अजमेर)

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़(अजमेर)

क्रमांकः न.प.कि./कृषि भूमि नियमन/2025/440 दिनांकः 13/5/2025

आपत्ति विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि भूमियों पर बसी कालोनियों में निम्न भूखण्डधारी द्वारा आवासीय पटटा चाहने वास्ते आवेदन पेश किया है, इस संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में इस कार्यालय को लिखित में आपत्तिया / कारण / विवरण सहित कार्यालय समय में दर्ज करावें, अन्यथा बाद मियाद किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नही होगी एवं आवेदक के पक्ष में भूमि आवंटन पटटा जारी कर दिया जावेगा।

क्र.सं.	प्रार्थी का नाम	खसरा संख्या राजस्व ग्राम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	श्रीमती आराम देवी पत्नि श्री शंकर लाल निवासी ग्राम भारला बाया देवपूरी तहसील अरांई जिला अजमेर	364 मदनगंज	55 का भाग	104.17 वर्गगज

आयुक्त नगर परिषद, किशनगढ़

डिप्टी कमांडेंट भर्ती-2025 में अपात्र आवेदकों की भरमार

अजमेर, (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा डिप्टी कमांडेंट भर्ती-2025 के लिए आमंत्रित किए गए ऑनलाइन आवेदनों की प्रारंभिक जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आयोग द्वारा की गई रैंडम जांच में पाया गया कि बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है जो अनिवार्य योग्यता के मानकों को पूरा नहीं करते।

आयोग के सचिव राम निवास मेहता ने बताया कि भर्ती के लिए पात्रता शर्तों के अनुसार केवल थल सेना (इंडियन आर्मी) से सेवानिवृत्त कैप्टन रैंक के अधिकारी ही आवेदन के पात्र हैं। इसके बावजूद कई अभ्यर्थियों ने गलत जानकारी देकर या योग्यता के बिना ही ऑनलाइन आवेदन भर दिए हैं, जो भर्ती प्रक्रिया की गंभीरता को प्रभावित करने वाला कृत्य है।

ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों और पहलगाम पीड़ितों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी

भीलवाड़ा। हरि शेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर परिसर में ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों और पहलगाम पीड़ितों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम भारत माता की तस्वीर पर दीप प्रज्वलन कर सभा की शुरुआत हुई। यह आयोजन महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के पावन सान्निध्य में सम्पन्न हुआ। सभा का उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए भारतीय जवानों और जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले में मारे गए हिंदू नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करना था। इस अवसर पर हरिशेवा शिक्षण-प्रशिक्षण संस्कृत विद्यालय के छात्रों ने विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन सिंदूर में हुए शहीदों के बलिदान और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आधारित गंभीर विचार प्रस्तुत किए। छात्रों के विचारों में देशभक्ति, संवेदना और समाज के प्रति जागरूकता की भावना स्पष्ट रूप से झलक रही थी। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थितजन ने दो मिनट का मौन रखकर शहीदों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन ने अपने संबोधन में कहा, शहीदों का बलिदान देश की आत्मा है, हमें उनके आदर्शों को आत्मसात करना चाहिए। यह श्रद्धांजलि सभा केवल श्रद्धा अर्पित करने का माध्यम नहीं, बल्कि युवाओं के भीतर राष्ट्र सेवा की भावना जागृत करने का एक प्रेरणादायक अवसर भी रही। इस कार्यक्रम में सेवा निवृत सैनिक - वारंट ऑफिसर एल एल पांचाल, वारंट ऑफिसर एस के गुर्जर, सूबेदार मेजर चमन सिंह राठौड़, सूबेदार मेजर रतन देव, कैलाश चंद्र जीनगर, हवलदार तेज सिंह, हवलदार हेमेन्द्र सिंह चौहान को भी आमंत्रित किया गया। सूबेदार चमन सिंह राठौड़ जिन्होंने कारगिल युद्ध में भाग लिया एवं सूबेदार रतन देव शर्मा ने अपने युद्ध के अनुभव सबके साथ साझा किए। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के रवींद्र जाजू ने शस्त्र और शास्त्र की रक्षा के लिए तत्पर रहने को कहा। हरीशेवा शिक्षण प्रक्षिक्षण संस्थान के छात्र आस्था इटोरिया, रघुवीर सिंह रामावत, अर्जुन व्यास, शांतनु शर्मा एवं दीपेश यादव ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आश्रम के संत राजाराम, संत गोविंदराम, महंत जमनादास, पंकज आडवाणी सहित अनेक श्रद्धालुओं ने भी श्रद्धांजलि सभा में भाग लिया।

वैवाहिक सामग्री का भेट कर निभाई सहभागिता

अजमेर, (कासं)। राजस्थान समग्र कल्याण संस्थान के तत्वाधान में ह्यूमैनिटी, रिलीफ टू थे हेल्पलेस इन इंडिया परियोजना के अंतर्गत जरूरतमंद कन्या के शुभ विवाह में आशीर्वाद सहित वैवाहिक सामग्री भेट की। यह कार्यक्रम भांवता ग्राम में आयोजित हुआद्ध जिसके चलते दैनिक जीवन में काम आने वाली समस्त सामग्री जैसे बर्तन, टेबल फैन, मिक्सी, प्रेस, सिलाई मशीन, एक श्रृंगार पेटी इत्यादि का वितरण कर मानवीय राहत प्रदान की गयी। आरएसकेएस टीम सदस्यों ने ऐसे ही जरूरतमंद कन्याओ की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में मौजूद भांवता सरपंच बलवीर सिंह राठौर, वार्ड पंच मुरली शरण व समस्त उपस्थित लोगों ने संस्था का आभार जताया।

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

मूल आवंटी / अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की जे पी नगर मदार योजना के आवासीय भूखण्ड सख्या क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर के आवंटी/अन्तरिति अजय श्रीवास्तव पुत्र मूल नारायण श्रीवास्तव निवासी 84 सेक्टर 3 जे पी नगर अजमेर की मृत्यु दिनांक 22/10/2021 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट सलंग्न कर मृतक के वारिसों क्रमशः (1) श्रीमती पूनम श्रीवास्तव पत्नि स्व. अजय श्रीवास्तव (फौत) (2) अविनाश श्रीवास्तव पुत्र स्व. अजय श्रीवास्तव निवासी 84 सेक्टर 3 जे पी नगर मदार अजमेर द्वारा अपने सहहिस्सेदार अविनाश श्रीवास्तव पुत्र स्व. अजय श्रीवास्तव निवासी 84 सेक्टर 3 जे पी नगर मदार अजमेर के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 31/3/2003 के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावे उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नही होगी व आवेदकों के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

-योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय नगर परिषद मकराना जिला-डीडवाना-कुचामन

क्रमांक/न.प.म./90ए/25-26/462 दिनांक : 13.05.2025

लोक सूचना

इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि के निम्न खातेदार द्वारा गैर कृषिक प्रयोजन के उपायोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृत अधिकारों के निर्वापन के लिए प्रस्तुत किया है।

क्र.सं.	आवेदक का नाम	जिले सहित तहसील का नाम	राजस्व गाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल	प्रयोजनार्थ
1	जोधाराम पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी मकराना	तहसील मकराना जिला डीडवाना-कुचामन	मकराना	349, 349/1, 355	1619 वर्गमीटर	आवासीय/ वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ

अतः, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सुचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 13.05.2025 को जारी की गयी ।

प्राधिकृत अधिकारी आयुक्त नगर परिषद मकराना

आम सूचना

मेरी दादी हस्तु पत्नि बेदा जाति जाट निवासी ग्राम जुगलीपुरा की मृत्यु दिनांक 02/06/1985 को मेरे निवास स्थान पर ग्राम जुगलीपुरा में हो गई थी। जिसका पूर्व में इन्द्राज ग्राम पंचायत सिरोंज में नहीं करवाया था। अब मैं मेरी दादी हस्तु पत्नी बेदा जाट का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अरांई तहसील कार्यालय में आवेदन किया है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने बाबत जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो 7 दिन में मय दस्तावेज के साथ अरांई तहसीलदार के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

-प्रार्थी- भंवरलाल पुत्र छितर जाट, निवासी ग्राम जुगलीपुरा तहसील, अंराई (अजमेर)

आम सूचना

मेरे पति रामरिख पुत्र श्रीकिशन जाति माली की मृत्यु दिनांक 27/08/2017 को मेरे निवास स्थान पर ग्राम अरांई में हो गई थी। जिसका पूर्व में इन्द्राज ग्राम पंचायत अरांई में नहीं करवाया था। अब मैं मेरे पति रामरिख माली का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अरांई तहसील कार्यालय में आवेदन किया है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने बाबत जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो 7 दिन में मय दस्तावेज के साथ अरांई तहसीलदार के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

-प्रार्थी- लक्ष्मी पत्नी स्व. रामरिख माली, निवासी ग्राम अरांई तहसील अरांई, अजमेर

आम सूचना

मेरी सास श्रीमति छोटी पत्नि श्री किशन जाति माली की मृत्यु दिनांक 01.02.1994 को मेरे निवास स्थान पर ग्राम अरांई में हो गई थी। जिसका पूर्व में इन्द्राज ग्राम पंचायत अरांई में नहीं करवाया था। अब मैं मेरी सास श्रीमति छोटी पत्नि श्री किशन माली को मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अरांई तहसील कार्यालय में आवेदन किया है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने बाबत जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो 7 दिन में मय दस्तावेज के साथ अरांई तहसीलदार के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

-प्रार्थी- लक्ष्मी पत्नी स्व. रामरिख माली, निवासी ग्राम अरांई तहसील अरांई, अजमेर

आम सूचना

न्यायालय तहसीलदार हुरडा जिला भीलवाड़ा

क्रमांक/भू.अ./एल.आर.एक्ट 135(2)/2025/1287 दिनांक-12.05.2023

मुकदमा नम्बर 08/2024

अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2)

उनवान शहाबुद्दीन पुत्र लालमोहम्मद निवासी सूरजपुरा तहसील बिजयनगर जिला ब्यावर बनाम हर आम व खास

बाबतः-अपंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण खोलने बाबत

हर आम व खास को आम चूना के जरिये सूचित किया जाता है कि श्री लाल मोहम्मद उर्फ लालूशाह पिता घूलाशाह मुसलमान निवासी गागेड़ा तहसील हुरडा के अपने जीवनकाल में दिनांक 18.06.1997 को एक वसीयतनामा 10 रूपये के स्टाम्प पर लिखा जाकर अपंजीकृत है। उक्त वसीयतनामा के आधार पर प्रार्थी श्री शहबुद्दीन पुत्र लाल मोहम्मद ने ग्राम गागेडा स्थित लाल मोहम्मद पुत्र घूला मुसलमान की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं. 2252 रकबा 0.9227 हेक्टेयर का नामान्तरण अपने पक्ष में करवाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिसकी जांच इस कार्यालय में विचारधीन है। उक्त प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 28.05.2025 नियत की गई है। यदि किसी भी आम व खास को उक्त अपंजीकृत वसीयतनामा के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह नियत दिनांक 28.05.2025 से पूर्व लिखित में इस कार्यालय में कार्य दिवस के दिन अपनी परिवेदना/आपत्ति प्रस्तुत करें। नियत दिनांक के पश्चात किसी भी प्रकार की परिवेदना/आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। अतः सूचित हो।

(रणवीर सिंह)

तहसीलदार(भू.अ.)हुरड़ा भीलवाड़ा

उद्घोषणा (इश्तिहार)

न्यायालय माननीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश, क्रम - 10 जयपुर महानगर- प्रथम सांगानेर

दीवानी विविध प्रार्थना पत्र (लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन) संख्या- 06/2025

श्रीमती निर्मला भार्गव बनाम श्रीमती अलका वगैराह

प्रार्थीया- श्रीमती निर्मला भार्गव पत्नी स्व. श्री अशोक कुमार भार्गव, आयु-86 वर्ष, जाति - भार्गव, 22, नगीना बाग, अजमेर (राजस्थान) - 305001; हाल निवासी-86/210, प्रताप नगर, सेक्टर-8, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर (राज.)

विषय- प्रार्थीया के पति स्वर्गीय अशोक कुमार भार्गव द्वारा निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 07.04.2001 के आधार पर लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र

पेशी- दिनांक 30/5/2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त प्रार्थीया